निर्णय बईजलास डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

वि0नं0 46/अपील/21 तारीख दायरा 01.11.2021

उनवान अपील

01. नरेशचन्द जोशी पिता जगदीश प्रसाद आयु 76 वर्ष नि0 रामदवारा गली के पास वाड़ न0 17 मंगलपुरा मस्जिद की गली,झालावाड़
02. चन्द्रकला तिवारी पत्नी मोहनलाल तिवारी पुत्र जगदीश प्रसाद आयु 62 वर्ष नि0 23/448 सराय का स्थान पाटन पोल कोटा सिटी,कोटा
03. जितेन्द्र पिता जगदीश प्रसाद आयु 52 वर्ष नि0 पुरोहित जी की हवेली के पास,झालरपाटन
04. हेमंत जोशी पिता जगदीश प्रसाद आयु 44 वर्ष नि0 मकान न0 23/448 सराय का स्थान पाटन पोल कोटा सिटी,कोटा
05. इन्द्रा गौतम पत्नी रघुनन्दन गौतम पुत्री जगदीश प्रसाद आयु 47 वर्ष नि0 हरिओम नगर,रंगबाड़ी योजना कोटा प.ई.प.कोटा, (अपीलान्ट्स)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन (रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार झालरापाटन दिनांक 05.12.1978 जो नामान्तरण संख्या 35 पर पारित किया गया।

उपस्थितः– श्री राम माहेश्वरी, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

दिनांक: 13.04.2022

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार झालरापाटन के आदेश दिनांक 05.12.1978 जिसके द्वारा ग्राम मूण्डलियाखेड़ा तहसील झालरापाटन की आराजी ख0न0 49 में से 05 बीघा आराजी जो अपीलार्थीगण के पिता जगदीश को दिनांक 30.11.1975 को आंवटन की गई थी पर अपीलान्ट का कब्जा नही मानकर नामान्तरण संख्या 35 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि आंवटित भूमि अपीलार्थीगण के पिता की गैर खातेदारी में दर्ज होने के बावजूद सुनवाई का अवसर दिये बगेर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ जाकर महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उनका कब्जा आंवटित भूमि पर नही मानकर तस्दीक नामान्तरण संख्या 35 खारिज योग्य है। नामान्तरण जैर अपील की जानकारी न तो अपीलार्थीगण के पिता के जीवन काल में रही और न ही अपीलार्थीगण को पिता की मृत्यु उपरान्त इस बाबत जानकारी हुई। अपील स्वीकार कर तहसीलदार तहसील झालरापाटन द्वारा दिनांक 05.12.1978 को तस्दीक नामान्तरण सख्या 35 निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 की और से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम मूण्डलियाखेड़ा की आराजी ख0न0 49 मे से 05 बीघा का आंवटन अपीलार्थीगण के पिता जगदीश को दिनांक 30.11.1975 को किया गया था। जिस पर नामान्तरण संख्या 83 दिनांक 10.12.1975 को दर्ज होकर 28.04.1976 को उक्त आराजी जगदीश की गैर खातेदारी में दर्ज की गई। पटवारी हल्का की कब्जा बाबत रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरण संख्या 35 दिनांकः 05.12.1978 को तस्दीक किया गया है वह गलत है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन द्वारा दिनांक 05.12.1978 को गलत तरीके से नामान्तरण

जिला कलक्टर

तस्दीक किया गया है जो खारिज किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने प्रस्तुत जवाब की पुष्ठी करत हुए व्यक्त किया कि ग्राम मूण्डलाखेड़ा की आराजी ख0न0 49 की 05 बीघा का आंवटन जगदीश प्रसाद आ0 मूलचन्द को दिनांक 30.11.1975 को किया गया था जिसका नामान्तरण 83 दिनांक 10.12.1975 को दर्ज होकर 28.04.1976 को तस्दीक हुआ तथा आवंटी की गेर खातेदारी में दर्ज हुई । दिनांक 05.12.1978 को नामान्तरण संख्या 35 भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट " मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है" के आधार पर राजस्व अधिकारी द्वारा नामान्तरण खारिज किया गया। ख0न0 49 (साबिक ख0न0 के नवीन ख0न0 76) उक्त आराजी में से 1.7703 हैक्टेयर भूमि ख0न0 179/76 से कोटा जिला दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 कोटा के नाम व 2.6807 हैक्टेयर भूमि ख0न0 180/76 से चरागाह के रूप में ग्राम पंचायत पिपलोद के नाम दर्ज है। नामान्तरण संख्या 35 आंवटी का आंवटित भूमि पर कब्जा नही होने पर तस्दीक किया गया है जो उचित है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम मूण्डलाखेड़ा की आराजी ख0न0 49 में से 05 बीघा भूमि का आंवटन अपीलार्थीगण के पिता जगदीश प्रसाद आ0 मूलचन्द को दिनांक 30.11.1975 को किया गया था व उक्त आवंटन पश्चात आराजी आंवटी की गेर खातेदारी में 28.04.1976 को नामान्तरण संख्या 86 से दर्ज की गई थी। दिनांक 05.12.1978 को आई एल आर द्वारा तहसीलदार को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की " मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है" और तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरण संख्या 35 दिनांक 05.12.1978 को तस्दीक किया गया जो हमारी राय में उचित है क्यों कि अगर उक्त आंवटित भूमि पर आंवटी का कब्जा काश्त होता तो आंवटी की मृत्यु उक्त नामान्तरण संख्या 35 के तस्दीक होने के 03 वर्ष पश्चात दिनांक 16.11.1991 तक भी आंवटी की जानकारी में ना आना और आंवटी द्वारा उक्त तस्दीक नामान्तरण 35 के पश्चात विधि अनुसार कोई कार्यवाही ना किया जाना से आई एल आर द्वारा तहसीलदार के समक्ष की गई रिपोर्ट " मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है" को बल मिलता है ओर यह साबित होता है कि आंवटन के पश्चात आंवटी का उक्त आंवटित भूमि पर कब्जा काश्त नही था। और कब्जा काश्त नहीं होने पर ही नामान्तरण संख्या 35 दिनांक 05.12.1978 को तस्दीक किया गया है। आंवटित आराजी का साबिक ख0न0 49 का नवीन ख0न0 76 बना जो वर्तमान में उक्त आराजी में से 1.7703 हैक्टेयर भूमि ख0न0 179/76 से कोटा जिला दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 कोटा के नाम व 2.6807 हैक्टेयर भूमि ख0न0 180/76 से चरागाह के रूप में ग्राम पंचायत पिपलोद के नाम दर्ज है। उपरोक्त विवेचन से अपील के माध्यम से अपीलान्ट्स को कोई राहत प्रदान नही की जा सकती। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
झालावाड़